छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा षोडश सत्र अंक-01

रायपुर, सोमवार, दिनांक 2 जुलाई, 2018

(आषाढ़ 11, शक संवत् 1940)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. राष्ट्रगीत

वन्दे मातरम् की धुन बजाई गई ।

2.निधन का उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन श्री हेमचंद यादव, पूर्व सांसद श्री केयूर भूषण एवं पूर्व राज्य मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन श्री विक्रम भगत के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किए ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री, श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री, श्री भूपेश बघेल, सदस्य, श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री, श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री श्री अरूण वोरा, सदस्य, श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री, श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, श्रीमती रमशीला साहू, महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्री अमरजीत भगत, श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य, श्री लाभचंद बाफना, संसदीय सचिव, श्री शिवरतन शर्मा एवं श्री केशव चंद्रा, सदस्य ने भी शोकोद्गार व्यक्त किए।

सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.59 बजे स्थगित होकर 12.17 बजे पुन: प्रारंभ हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

3. फरवरी, 2018 सत्र के समयपूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि की मुद्रित प्रश्नोत्तरी का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-क की अपेक्षानुसार फरवरी, 2018 सत्र का दिनांक 27 फरवरी, 2018 को समयपूर्व सत्रावसान के कारण बैठक हेतु पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 28 फरवरी, 2018 की मुद्रित प्रश्नोत्तरी सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखी गयी।

4. फरवरी, 2018 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार फरवरी, 2018 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा द्वारा पटल पर रखा गया।

5. नियम 267-क के अधीन फरवरी, 2018 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क के अधीन फरवरी, 2018 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधानसभा द्वारा पटल पर रखा गया।

6. माननीय राष्ट्रपति/माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार सचिव, विधान सभा द्वारा चतुर्थ विधान सभा के फरवरी-मार्च-अप्रैल, 2017 सत्र में पारित 8 विधेयकों में से शेष बचे 1 विधेयक पर माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा फरवरी, 2018 सत्र में पारित 5 विधेयकों में से माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त सभी 5 विधेयकों का विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है।

7.सभापति तालिका की घोषणा

माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्री देवजी पटेल
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) श्री संतोष बाफना
(4) श्री शिवरतन शर्मा
(5) श्री धनेन्द्र साहू

8. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

माननीय अध्यक्ष ने कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सोमवार, दिनांक 2 जुलाई, 2018 में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नलिखित वित्तीय एवं विधायी कार्य पर चर्चा के लिए उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई :-

	<u>वित्तीय कार्य</u>		**<u>समय</u>**
(i)	वर्ष 2018-2019 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण.		3.00 घंटे
	<u>शासकीय विधि विषयक कार्य</u>		
(i)	छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग (संशोधन) विधेयक, 2018	-	15 मिनट
(ii)	छत्तीसगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान तथा सूचना का संरक्षण) विधेयक, 2018	-	15 मिनट
(iii)	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2018	-	15 मिनट
(iv)	छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2018	-	30 मिनट
(v)	छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विधेयक, 2018	-	15 मिनट
(vi)	छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2018	-	15 मिनट

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सदन कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि -

(1) सोमवार, दिनांक 02 जुलाई, 2018 को सायं 5.30 बजे सेन्ट्रल हॉल में चतुर्थ विधान सभा के माननीय सदस्यों का छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल, श्री बलरामजी दास टण्डन के साथ समूह छायाचित्र आयोजित है। उन्होंने समस्त माननीय सदस्यगणों से अनुरोध किया कि वे कृपया सेन्ट्रल हॉल में सायं 5.00 बजे तक निर्धारित स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें ।

(2) मुझे सदन को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज दिनांक 2 जुलाई, 2018 से विधान सभा की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाइट (www.cgvidhansabha.gov.in) पर ऑनलाईन उपलब्ध कराया जा रहा है । यह कार्यवाही अशोधित रूप में होगी । सभी माननीय सदस्य, पत्रकारगण एवं आमजन उक्त सुविधा का अधिक से अधिक लाभ लें ।

(3) कल, दिनांक 3 जुलाई, 2018 को अपराह्न 1.30 बजे (भोजन अवकाश के तत्काल पश्चात्) सेन्ट्रल हॉल में पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति के सदस्यों एवं पत्रकार दीर्घा के प्रवेशपत्रधारी पत्रकारों के साथ समूह छायाचित्र लिया जाना निर्धारित किया गया है । अत: पत्रकार दीर्घा सलाहकार समिति के सदस्य एवं पत्रकार दीर्घा के प्रवेश पत्रधारी समस्त पत्रकारगण निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होवें ।

10. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने रायपुर शहर के एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार की नीतियों, प्रशासनिक चूकों, राज्य शासन के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई गलतियों के संबंध में ध्यानाकृष्ट करने के लिए आता है। यह विषय राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि - माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये स्थगन प्रस्ताव की सूचना का मैंने अवलोकन किया। सूचना में उल्लेखित तथ्य एक प्रकरण में सी.बी.आई. जांच की कार्य प्रणाली के संबंध में उठाये गये हैं, जो केन्द्र शासन की एजेंसी है और इसमें राज्य शासन का कोई हस्तक्षेप नहीं है तथा न ही ऐसा कोई विषय है, जो राज्य शासन की नीति में चूक की ओर उल्लेख करता हो।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना को कक्ष में अग्राहय कर दिया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

(निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 12.35 बजे स्थगित की जाकर 12.58 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा पुन: स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण सूचना प्रस्तुत करने हेतु श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य का नाम पुकारा।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

12. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

(2) श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य ने प्रदेश में जन औषधि केन्द्रों से जैनेरिक दवाईयों की आपूर्ति नहीं होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

13. स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के लिए निर्वाचन

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि - सभा के सदस्यगण, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 233-ग के उप नियम (2) की

अपेक्षानुसार स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति हेतु वित्तीय वर्ष 2018-2019 की शेष अवधि के लिए 09 सदस्य, निर्वाचन के लिए अग्रसर हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

1. नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2018 को अपराह्न 4.00 बजे तक दिये जा सकते हैं।
2. नाम निर्देशन प्रपत्रों की संवीक्षा मंगलवार दिनांक 3 जुलाई, 2018 को सायं 5.00 बजे से सचिव, विधान सभा के कक्ष में होगी।
3. उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना बुधवार, दिनांक 4 जुलाई, 2018 को अपराह्न 3.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है ।
4. निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान गुरूवार, दिनांक 5 जुलाई, 2018 को प्रात: 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक विधान सभा भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक-2 में होगा ।

निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा ।

उपर्युक्त, निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य गर्भगृह में आये)

14. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री टी.एस.सिंहदेव, खेलसाय सिंह, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री अमरजीत भगत, जयसिंह अग्रवाल, दिलीप लहरिया, दलेश्वर साहू, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, गुरूमुख सिंह होरा, मनोज सिंह मंडावी, अरूण वोरा, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, श्रीमती देवती

कर्मा, सर्वश्री शंकर ध्रुवा, (डॉ) प्रीतम राम, चिंतामणि महाराज, कवासी लखमा, रामदयाल उईके, भोलाराम साहू, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), जनकराम वर्मा, भैयाराम सिन्हा एवं गिरवर जंघेल।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य गर्भगृह में बैठ गये)

(सदन की कार्यवाही 1.10 बजे स्थगित की जाकर 1.24 बजे समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सभा भवन से बाहर गये)

15. निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

अपराह्न 1.26 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 3 जुलाई, 2018 (आषाढ़-12, शक संवत् 1940) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा